भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2615**
गुरुवार, 16 मार्च, 2023 / 25 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>सीएआर नियमों में संशोधन</u>

2615. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का उन यात्रियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए नए मानदंड जारी करने का विचार है जिनके टिकटों को एयरलाइनों द्वारा अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड कर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त कदम एक श्रेणी विशेष के टिकटों को अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किए जाने से संबंधित बढ़ती शिकायतों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय का विमान कंपनियों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में संशोधन करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)</u>

(क) से (घ): जी हां। डाउनग्रेडिंग के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पहले से जारी नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड 3-वायु परिवहन, श्रृंखला-एम, भाग-IV, शीर्षक एयरलाइनों द्वारा बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं' में संशोधन करते हुए, उसमें दिनांक 15 फरवरी 2023 से निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया है:
"यदि यात्री को टिकट को अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किया जाता है और उसे, खरीदी गई टिकट की श्रेणी से निम्न श्रेणी में यात्रा कराई जाती है, तो एयरलाइन यात्री को निम्नानुसार प्रतिपूर्ति करेगी:
(i) घरेलू क्षेत्र के लिए: - करों को शामिल करते हुए टिकट के मूल्य का 75%।
(ii) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए :-
1500 किमी या उससे कम दूरी की उड़ानों के लिए करों को शामिल करते हुए टिकट के मूल्य का 30%।
1500 किमी से 3500 किमी के बीच की दूरी की उड़ानों के लिए करों को शामिल करते हुए टिकट के मूल्य का 50%।
3500 किमी से अधिक दूरी की उड़ानों के लिए कर सहित टिकट के मूल्य का 75%.

*****